तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़

विषयः– **तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्धारण । (संशोधित)**

...00...

तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों का उसी संस्था में ब्रांच परिवर्तन एवं एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के संबंध में निम्नानुसार नीति निर्धारित किया जाता है ।

(1) **संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के ब्रांच परिवर्तन**

पॉलीटेकनिक एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय दोनों के लिये –

(i) काउंसिलिंग द्वारा प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों की ब्रांच परिवर्तन के संबंध में कार्यवाही स्थान रिक्त होने पर ही पी.ई.टी./पी.पी.टी. के नियम के अनुसार संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा की जायेगी। जिन ब्रांचों में प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम एक समान नहीं है, उन ब्रांचों में आपसी परिवर्तन भी संस्था के प्राचार्यो द्वारा की जा सकेगी । तथापि ऐसे मामले में छात्र को परिवर्तित ब्रांच के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यकम के अनुसार अतिरिक्त विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में छात्र से एक घोषणा पत्र (Undertaking) लेना होगा जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि छात्र नये ब्रांच में जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उस नये ब्रांच के पाठ्यकम (Syllabus) के अनुसार अतिरिक्त विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की रहेगी ।

(ii) जिन ब्रांचों में प्रथम वर्ष का पाठ्यकम एक समान है, उनमें द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर ब्रांच परिवर्तन प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर संस्था/संस्थाओं स्तर पर ही किया जा सकेगा। रिक्त स्थान की गणना के लिये ट्यूशन फी वेव्हर एवं/ अथवा लेटरल एण्ट्री की रिक्त सीटों को नहीं लिया जायेगा ।

(iii) **ब्रांच परिवर्तन हेतु विश्वविद्यालय को सूचित करने की जवाबदारी संचालनालय एवं संबंधित महाविद्यालय की होगी।**

शासकीय इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में ब्रांच परिवर्तन की कार्यवाही के लिए सत्र में प्रवेशित छात्रों की प्रथम वर्ष की परीक्षा के उपरांत उन्हें इस आशय की सूचना देकर उनसे आवेदन पत्र प्राप्त करें, एवं नये सत्र में कक्षाएं प्रारंभ होने के पूर्व ही ब्रांच परिवर्तन की सूची मेरिट के अनुसार संचालक की अनुमति से जारी करें ।

2 (अ) **एक तकनीकी संस्था से दूसरी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण (इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं फार्मेसी संस्थाओं हेतु) ।**

प्रथम वर्ष एवं अंतिम वर्ष में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहेगा (डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम में द्वितीय सेमेस्टर में स्थानांतरण का प्रावधान रहेगा ।) । स्थानांतरण केवल द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में ही केवल स्थान रिक्त होने पर किये जा सकेंगे । स्थानांतरण का प्रावधान निम्नानुसार रहेगा :–

2(अ)1. एक शासकीय तकनीकी संस्था से दूसरी शासकीय तकनीकी संस्था स्वशासी–स्ववित्तीय संस्था अथवा निजी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे ।

2(अ)2. एक स्वशासी–स्ववित्तीय संस्था से निजी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे परंतु शासकीय संस्था में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहेगा ।

2(अ)3. एक निजी संस्था से अन्य निजी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे परंतु स्वशासी–स्ववित्तीय संस्था एवं शासकीय तकनीकी संस्था में स्थानांतरण का प्रावधान नही रहेगा ।

2(अ) 4. **स्थानांतरण के लिये आवश्यकता –**

4(i) जिस संस्था में स्थानांतरण मांगा जा रहा है वहॉ रिक्त स्थान होने पर ही स्थानांतरण किया जा सकेगा । ट्यूशन फी वेव्हर एवं लेटरल एण्ट्री के कारण रिक्त रह गई सीटों को रिक्त सीट की गणना में नहीं लिया जाना है ।

4(ii) स्थानांतरण उसी ब्रांच में किया जा सकेगा जिसमें पूर्व कक्षाओं की परीक्षा उत्तीर्ण की होगी । तथापि ब्रांच परिवर्तन के साथ स्थानांतरण भी हो सकेंगे, परंतु इसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा । इस संबंध में छात्र से एक घोषणा पत्र (Undertaking) लेना होगा जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि छात्र नये ब्रांच में जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उस नये ब्रांच के पाठ्यक्रम (Syllabus) के अनुसार अतिरिक्त विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी छात्र की स्वयं की रहेगी ।

4(iii) स्थानांतरण इंजीनियरिंग में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तक रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा ।

4(iv) संबंधित संस्थाओं के प्राचार्यो की अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगी ।

4(v) छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, छ0ग0 को सूचना दिया जाना आवश्यक होगा ।

4(vi) यदि किसी संस्था में स्थानांतरण चाहने वाले छात्रों की संख्या उस संस्था में संबंधित ब्रांच में उपलब्ध रिक्त स्थानों की संख्या से अधिक होगी तो स्थानांतरण पूर्व वर्ष की परीक्षा में प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर ही किया जा सकेगा ।

4(vii) स्थानांतरण चाहने वाले छात्र को अध्ययनरत संस्था में तथा जिस संस्था में स्थानांतरण चाहता है दोनों संस्थाओं में स्थानांतरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

4(viii) छात्र के आवेदन पर दोनों संस्थायें अनापत्ति प्रमाण पत्र छात्र को जारी करेंगे । अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप छोड़ने वाली संस्था के लिये T–1 एवं लेने वाली संस्था के लिये T–2 में होना अनिवार्य है ।

4(ix) प्रारूप T–1 एवं T–2 में जारी दोनों अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर छात्र संचालनालय तकनीकी शिक्षा में स्थानांतरण हेतु लिखित आवेदन करेगा ।

4(x) संचालनालय द्वारा प्रकरण पर आवश्यकतानुसार जांच किया जा सकता है अथवा बिना कारण बताये आवेदन को अमान्य भी किया जा सकता है । संतुष्ट हो जाने पर छात्र को संचालनालय द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रारूप T–3 में जारी किया जायेगा ।

4(xi) उपरोक्त तीनों अनापत्ति प्रमाण पत्र के पश्चात् ही छोड़ने वाली संस्था छात्र को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी एवं लेने वाली संस्था प्रवेश दे सकेगी । इसकी सूचना संस्थाओं को विश्वविद्यालय में देना अनिवार्य होगा ।

2(अ) 5. **अन्य राज्यों की AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं से छ.ग. राज्य की किसी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण (इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी)**

5(i) अन्य राज्यों की शासकीय तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य के शासकीय संस्था में स्थानांतरण रिक्त स्थानों पर छ0ग0 राज्य के छात्रों की प्राथमिकता के बाद अन्य राज्य के छात्रों का मेरिट के आधार पर किया जा सकेगा।

5(ii) अन्य राज्यों के छात्रों का एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्यों में तथा छ0ग0 राज्य के छात्रों का अन्य राज्यों में स्थानांतरण स्थान रिक्त रहने पर उपरोक्त निति अनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा।

2 (ब) **एक तकनीकी संस्था से दूसरी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण (पॉलीटेकनिक के लिये)**

प्रथम वर्ष में स्थानांतरण पी.पी.टी. नियम अनुसार प्रत्येक संस्था में केवल 04 स्थानांतरण शासन की अनुमति के पश्चात् किये जा सकेंगे । इसके लिये स्थान रिक्त होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये स्थानांतरण प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त Over & above रहेंगे । द्वितीय वर्ष में स्थानांतरण केवल स्थान रिक्त रहने पर ही किये जा सकेंगे । अंतिम वर्ष में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहेगा । स्थानांतरण का प्रावधान निम्नानुसार रहेगा :–

2(ब)1. एक शासकीय तकनीकी संस्था से दूसरी शासकीय तकनीकी संस्था अथवा निजी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे ।

2(ब)2. एक निजी संस्था से अन्य निजी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे परंतु शासकीय तकनीकी संस्था में स्थानांतरण का प्रावधान नही रहेगा ।

2(ब)3. **स्थानांतरण के लिये आवश्यकता –**

3(i) जिस संस्था में स्थानांतरण मांगा जा रहा है वहॉ द्वितीय वर्ष हेतु स्थान रिक्त होने पर ही स्थानांतरण किया जा सकेगा । ट्यूशन फी वेव्हर एवं लेटरल एण्ट्री के कारण रिक्त रह गई सीटों को रिक्त सीट की गणना में नहीं लिया जाना है ।

3(ii) स्थानांतरण उसी ब्रांच में किया जा सकेगा जिसमें पूर्व कक्षाओं की परीक्षा उत्तीर्ण की होगी । तथापि ब्रांच परिवर्तन के साथ स्थानांतरण भी हो सकेंगे, परंतु इसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा । इस संबंध में छात्र से एक घोषणा पत्र (Undertaking) लेना होगा जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि छात्र नये ब्रांच में जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उस नये ब्रांच के पाठ्यक्रम (Syllabus) के अनुसार अतिरिक्त विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी छात्र की स्वयं की रहेगी।

3(iii) स्थानांतरण प्रथम वर्ष में प्रत्येक संस्था में केवल 04 स्थानांतरण (स्थान रिक्त न होने पर भी) तथा द्वितीय वर्ष में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा

3(iv) द्वितीय वर्ष में स्थानांतरण के लिये संबंधित संस्थाओं के प्राचार्यो की अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगी ।

3(v) छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, छ0ग0 को सूचना दिया जाना आवश्यक होगा ।

3(vi) यदि किसी संस्था में स्थानांतरण चाहने वाले छात्रों की संख्या उस संस्था में संबंधित ब्रांच में उपलब्ध रिक्त स्थानों की संख्या से अधिक होगी तो स्थानांतरण पूर्व वर्ष की परीक्षा में प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर ही किया जा सकेगा ।

3(vii) स्थानांतरण चाहने वाले छात्र को अध्ययनरत संस्था में तथा जिस संस्था में स्थानांतरण चाहता है दोनों संस्थाओं में स्थानांतरण हेतु लिखित आवेदन करना होगा ।

3(viii) छात्र के आवेदन पर दोनों संस्थायें अनापत्ति प्रमाण पत्र छात्र को जारी करेंगे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में छोड़ने वाली संस्था के लिये प्रारूप T–1 एवं लेने वाली संस्था के लिये प्रारूप T–2 में होना अनिवार्य है ।

3(ix) प्रारूप T–1 एवं T–2 में जारी दोनों अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर छात्र संचालनालय तकनीकी शिक्षा में स्थानांतरण हेतु लिखित आवेदन करेगा ।

3(x) संचालनालय द्वारा प्रकरण पर आवश्यकतानुसार जांच किया जा सकता है अथवा बिना कारण बताये आवेदन को अमान्य भी किया जा सकता है । संतुष्ट हो जाने पर छात्र को संचालनालय द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रारूप T–3 में जारी किया जायेगा ।

3(xi) उपरोक्त तीनों अनापत्ति प्रमाण पत्र के पश्चात् ही छोड़ने वाली संस्था छात्र को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी कर सकेगी एवं लेने वाली संस्था प्रवेश दे सकेगी । इसकी सूचना संस्थाओं को विश्वविद्यालय में देना अनिवार्य होगा ।

2(ब)4. अन्य राज्यों की तकनीकी संस्थाओं से छ.ग. राज्य की किसी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण (पॉलीटेकनिक)

4(i) अन्य राज्यों की शासकीय तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्य के शासकीय संस्था में स्थानांतरण रिक्त स्थानों पर छ0ग0 राज्य के छात्रों की प्राथमिकता के बाद अन्य राज्य के छात्रों का मेरिट के आधार पर किया जा सकेगा।

4(ii) अन्य राज्यों के छात्रों का एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से छ.ग. राज्यों में तथा छ0ग0 राज्य के छात्रों का अन्य राज्यों में स्थानांतरण स्थान रिक्त रहने पर उपरोक्त निति अनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा।

टीप :–

1. किसी भी प्रकार के स्थानांतरण में होने वाली तकनीकी समस्याओं के लिये छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम होगा।
2. स्थानांतरण का प्रावधान विद्यार्थियों की सुविधा के लिये है । इसे अधिकार के रूप में ना लिया जाये। किसी भी आवेदन को अमान्य किये जाने का अधिकार संचालक, तकनीकी शिक्षा/ प्रशासकीय विभाग/ विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा ।
3. यदि किसी छात्र को किसी संस्था, किसी ब्रांच के लिये ट्यूशन फी वेव्हर मिल रही हो तो अन्य संस्था में स्थानांतरण अथवा उसी संस्था में ब्रांच परिवर्तन के कारण उसे इसकी पात्रता नही रहेगी।
4. संस्थाओं/संचालनालय/विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है ।
5. उसी संस्था में ब्रांच परिवर्तन करने के संबंध में संपूर्ण कार्यवाही विवरण जैसे समस्त छात्रों को रिक्त सीटों के बारे में सूचित करना, उनसे आवेदन प्राप्त करना, ब्रांच परिवर्तन के लिये समिति गठित करना, आवेदनों की मेरिट के अनुसार स्कूटनी करना, संस्था प्राचार्य से अनुमोदन प्राप्त करना एवं ब्रांच परिवर्तन के आदेश जारी करना आदि समस्त दस्तावेज संस्था में सुरक्षित रखे जायें । आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय निरीक्षण हेतु दस्तावेज संचालनालय तकनीकी शिक्षा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

संचालक
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
रायपुर